मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

- किसी भी आयु वर्ग का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक
- अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो,
- प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो
- तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो,
- जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो,
- एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, इसके तहत पेंशन का पात्र होगा।

नोट: बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर:-

1. 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशन को रू. 750/- प्रतिमाह।
2. 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/- प्रतिमाह।
3. एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/- प्रतिमाह।
4. किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति को रूपये 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय। जिसकी सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

Ⓜ नोट :- यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार /राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगा।

📝आवश्यक दस्तावेज📝

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

<u>जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज</u>

1.आधारकार्ड	2.जन्मप्रमाण पत्र	3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र	5.बैंक खाता विवरण	6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र	8. विशेष योग्यजन पेंशन हेतु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।	

📢आवेदन का तरीका📢

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।